तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24/7/19	[illegible] अनुपस्थित। आज [illegible] द्वारा [illegible] अनुपस्थित [illegible] का निर्णय लिया गया है। अतः [illegible] पेश हो। दिनांक 29/7/19 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट	
29/07/19	फरियादी उपस्थित। आज श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय, अन्य [illegible] में व्यस्त है/भ्रमण पर है/अवकाश [illegible] अतः पेशी इत्तला होकर पत्रावली दिनांक 30/7/19 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट,सोजत	
30-07-19	शाखि वकत प्रार्थी गण उपस्थित बहस प्रारंभ शाखि वकत प्रार्थीगण मुलाहिजा व समाप्त की गई। शाखि वकत प्रार्थी गण के दावा पत्र पत्र ~~[illegible]~~ अप्रार्थी गण अन्तर्गत धारा 110, एवं 111 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस आशय का पेश किया है कि सरहद मौजा - [illegible] स्थित रकबा नं० 7 रकबा 2.3500 हेक्टेयर की कृषि भूमि प्रार्थी सं० 3 व 4 की खातेदारी एवं कब्जे वाहक की है तथा रकबा नं० 132 रकबा 0.3500 हेक्टेयर प्रार्थी सं० 1 की खातेदारी व कब्जे वाहक एवं रकबा नं० 14 रकबा 0.2700 हेक्टेयर की कृषि भूमि प्रार्थी सं० 2 की खातेदारी एवं कब्जे वाहक की है, प्रार्थीगण की कृषि भूमि अधिपत्ती अप्रार्थीगण की आबादी स्थित है। प्रार्थीगण की कृषि भूमि के पास ही अप्रार्थीगण की आबादी बसी है, जिसमें अप्रार्थी गण रामदेवी पत्नी रकबा नं० 07 व 13 में गैर जायज अतिक्रमण कर के प्रार्थीगण की जमीन पर आबादी अप्रार्थीगण काबिज हो गये तथा आबादी रूप में अप्रार्थी रामदेवी ने अपना रास्ता रकबा नं० 07 में छोड़ रखा है तथा रकबा नं० 13 पर भी बाड़ की जगह काफी अतिक्रमण कर रखा है। इसी प्रकार रकबा नं० 14 की कृषि भूमि पर अप्रार्थी सं० 2 पारसराम द्वारा आम रास्ते की जमीन पर बाड़ हटाकर प्रार्थीगण के कब्जे की कृषि भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है जिस हटवाया जाना आवश्यक है। उक्त अतिक्रमण कर अप्रार्थीगण अपनी होना जानते से सीमा विवाद उत्पन्न होकर शान्ति भंग व्यवधान होना आशंकित है। उक्त विवादित रकबा नं० की कृषि भूमि पर प्रार्थीगण का	

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (पाली) राज.

P.T.O.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर अहकाम हुक्म की तारीख जारी हुआ

पूर्वजों से भूमि तक का कब्जे काश्त में रही एवं उपयोग उपभोग व्यक्ति वार्ष हेतु प्रार्थीगण की काश्त रहा करते हैं। अंकित पर कब्जा भी है। अप्रार्थीगण अधिनियमी सम्पत्ति चाहे हटाया जाने का अतिक्रमण कर रहे हैं तथा ख.नं. 07 में अप्रार्थी द्वारा अपना रास्ता खोल रखा है, जो गैर काश्तकारी है। वास्तविक सीमांकन करने के पश्चात अप्रार्थीगण अतिक्रमण हटाने तथा वास्तविक भाग पर काबिज रखने हेतु तैयार हैं। जो कोई व्यक्ति स्थगन होने से उक्त कोई व्यक्ति कोशिश कर रहा है जिससे अप्रार्थीगण हटाया जाता है। प्रार्थीगण ने पूर्व में भी उक्त भाग को सर्वे अमीन सीट व राजस्व अधिकारी के मुताबिक सीमांकन करवाया, प्रति मसमझते थे, किन्तु अप्रार्थीगण उनकी सीमांकन की कोई बात या मानते या तैयार नहीं है। उनके अनुसार अतिक्रमण नहीं है, जहां तक उनका कब्जा है, वहीं उनकी होने विनांक 23-07-2018 को किये गये सीमांकन से अप्रार्थीगण संतुष्ट नहीं है। अप्रार्थीगण बदनीयत प्रवृत्ति होने से भाई लकड़ी काट रहे हैं। प्रार्थीगण की भूमि हड़पना चाहते हैं। प्रार्थीगण की भूमि का गलत दर्ज से तारबाड़ सीमांकन पश्चात करवाना चाहता है। इस प्रकार प्रा० पत्र मय शपथ-पत्र अपीलकर्ता जाति वकता प्रार्थीगण ने प्रस्तुत कर प्रार्थीगण की ख.नं. 7, 13 व 14 की भूमि भूमि का सही वास्तविक सीमांकन करवाकर तारबन्दी, पत्थरगढ़ी करने, पौधरोपण लगवाने आदि का आदेश दिया जाने की हदबन्दी की है। इस पर राजस्व प्रपत्र अन्तर्गत धारा 110 एवं 111 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत किया जाकर अप्रार्थीगण को जारी नोटिस वास्ते जवाब प्रा० पत्र तलब किया गया। अप्रार्थीगण सम्मन, रोजनामचा का तामिली सूचना कार्यालय आदेश किया जाने पर भी अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

बहस प्रपत्र अधिवक्ता प्रार्थीगण सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने हलफ प्रा० पत्र प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख.नं. 7, 13 व 14 की कृषि भूमि का सही सीमांकन करवाकर तारबन्दी, पत्थरगढ़ी व सिंचित कर पौधरोपण लगाने के आदेश प्रदान किये जाने की इबतदाई पत्रावली आख्यानपूर्व के अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रा० पत्र मय शपथ-पत्र एवं लोकविजात का गहनता पूर्वक अध्ययन किया गया तथा बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा० पत्र अन्तर्गत 110, 111 राज० ल० राजस्व अधि० 1956 का लोकवाद योग्य होने से लोकवाद किया जाता है। तहसीलदार, साजत को आदेशित किया जाता है कि मौके पर निरीक्षण व पटवारी सम्बन्धित व अन्य किसी पटवारी की संयुक्त

लगातार

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	2/म का गठन कर प्रार्थीगण की खतेदारी छोटे खाते खसरा नं. 7, 13 व 14 का सही व वास्तविक सीमांकन किये जाने का आदेश दिया जाना उचित समझते हैं।	

—आदेश—

अतः आज पक्षकार अप प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा० पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 110 व 111 राजस्व अधि० व राजस्व आदि नियमों, 1956 का स्वीकार योग्य है, स्वीकार किया जाता है तद्नुसार, मौजा का आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण की खतेदारी व कब्जे वाले की छोटे खाते खसरा नं. 7, 13 व 14 रकबा क्रमशः 02.3500 है०, खसरा नं. 13 रकबा 01=3500 है०, तथा खसरा नं. 14 रकबा 01=2700 है०, मवज, नदी व मवज झोड़े का अन्तर्गत निरी अंक, पटवारी हल्का सम्बन्धित एवं अन्य एक पटवारी की संयुक्त 2/म का गठन करके सीमांकन कार्य मौका अप जाकर जनता रिपोर्ट न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें तद्नुसार, मौजा को अंतर निर्णय की प्रति भेजकर तस्दीक जारी कर पालना करवाई जावें। पत्रावली प्रेषण के अनुसार होकर लम्बित मुकदमों की वादि तथा नकल जाकर दाखिल दफ्तर रोस्टर भण्डार जमा हो।

(राजेश मेवाड़ा)
उपखण्ड अधिकारी, मौजा
(जिला-पाली)

निर्णय आज दिनांक 30-07-2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सर्व देखकर सुनाया गया।

(राजेश मेवाड़ा)
उपखण्ड अधिकारी, मौजा
(जिला-पाली)

Scanned by CamScanner